21/02/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील बहस करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/05/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

25/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत माडपुरा बरवाला में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी की अपने खातेदारी खेतों की पक्की मेखबन्दी ~~मौके~~ करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी का मेखबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखबन्दी आदेश किया जावे। अत: प्रार्थी का मेखबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेखबन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु

राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, माडपुरा बरवाला)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 454 दिनांकः– 25 / 05 / 2018

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री रतनलाल पुत्र जेठाराम, जाति–प्रजापत, निवासीयान्–माडपुरा पुराना गांव, माडपुरा बरवाला, तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर

1. श्री चेतनराम पुत्र लच्छाराम वगैरा 11, निवासीयान्–माडपुरा पुराना गांव, माडपुरा बरवाला, तहसील–बाड़मेर, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :– 239 / 17

आदेश

मौजा माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बायतु पनजी, तहसील बायतु व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 322, 446 / 322 रकबा क्रमशः 21.07, 03. 05 बीघा व मौजा भाम्भुओं की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 308 / 286, 310 / 286, 318 / 280 रकबा क्रमशः 00.17, 00.07, 00.08 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्राथी से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 455 – 59 दिनांकः– 25 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रतनलाल पुत्र जेठाराम।
4. विप्रार्थी श्री चेतनराम पुत्र लच्छाराम वगैरा 11।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु